राजस्व लोक अदालत अभियान
न्याय आपके द्वार–2018 (2)

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थित अधिवक्ता :–

1 श्री ओमप्रकाश गौदारा अपीलान्ट की और से।
2 श्री दशरथसिंह राठौड व नरेन्द्रसिंह राठौड रेस्पोडेंट सं. 01 से 03, 06 से 07 व 09 की और से।
3 श्री मुनीराम मालोदिया रेस्पोडेंट सं. 10 से 13 व 14/1 से 14/5 की और से।

–:: निर्णय ::–

दिनांक 21.05.2018

अपील के तथ्य इस प्रकार है कि मौजा दुगौली के खेत खसरा नम्बर 792 रकबा 07 बिस्वा, खसरा नम्बर 836 रकबा 06 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 984 रकबा 10 बीघा 11 बिस्वा व मौजा रामपुरा "अ" के खेत खसरा नम्बर 955 रकबा 06 बीघा 04 बिस्वा, खसरा नम्बर 956 रकबा 21 बीघा 10 बिस्वा व खसरा नम्बर 969 रकबा 14 बीघा भूमि के सहखातेदार रेस्पोडेन्टान सं. 01 से 14 के रहते चली आयी है। अपीलान्ट ने दिनांक 25.08.2017 को रेस्पोडेन्ट सं. 10 से 14/05 तक से पंजीबद्ध बेचाननामा से रामानंद, प्रभुराम, परसाराम, सरजूदेवी, सीतादेवी, मुकेश, शिवपाल, सागर व सरिता से दोनों गांवों की तमाम 1/2 भूमि जिस पर इन का कब्जा काश्त था को कुल कीमत 6,61,380 में कय की तथा विक्रताओं से कब्जा काश्त प्राप्त कर लिया जो आज दिन तक अपीलान्ट के पास है।

इन दोनों पंजीबंद्ध दस्तावेजों का पटवारी हल्का ने नामान्तरण सं. 2394 मौजा दुगौली व नामान्तरण सं. 215 रामपुरा "अ" के दर्ज कर लायक अदालत ग्राम पंचायत दुगौली के समक्ष पेश किये। ग्राम पंचायत दुगौली ने अपने प्रस्ताव सं. 02 में यह हवाला देते हुए की रेस्पोडेन्ट की आवास ढाणियां बनी हुई है व पानी के टांके बनाये हुए है भूमि का भाई बंटवाडा नहीं हुआ है इस तत्यों के आधार पर दोनो म्युटेशन अस्वीकृत कर दिये जो कतई विधि सम्मत नहीं है अपीलान्ट को कोई विधिक सूचना दिये बिना ही चुपचाप म्युटेशन अस्वीकृत कर दिये। इसलिये अपील म्युटेशन खारीज करने की जानकारी के दिन से अन्दर मियाद पेश कर निवेदन

उपखण्ड अधिकारी
जायल, जिला नागौर

Scanned by CamScanner

किया कि मौजा दुगौली के म्युटेशन सं. 2394 व मौजा रामपुरा "अ" के म्युटेशन सं. 215 को खारीज किया जावे तथा तहसीलदार जायल को उक्त बैचाननामा दिनांक 25.08.2017 के अनुशार अपीलान्ट का म्युटेशन पुनः दर्ज करने हेतु तहसीलदार जायल के नाम तहरीर जारी की जावे।

अपीलान्ट की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंटान को जरिये सम्मन तलब किये गये। रेस्पोडेंट सं. 01 से 03, 06 से 07 व 09 की और से वकील दशरथसिंह राठौड व नरेन्द्रसिंह राठौड ने वकालतनामा पेश किया तथा रस्पोडेंट सं. 10 से 13 व 14/1 से 14/5 की और से मुनीराम मालोदिया ने वकालतनामा पेश किया। रेस्पोडेंट सं. 04, 05 व 08 बावजूद तामिल गैर हाजिर रहे इसलिये इन के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गयी। रेस्पोडेंड सं. 14 से रिकार्ड तलब कर प्राप्त किया गया। रेस्पोडेन्ट सं. 01 व 02 की और से वकील दशरथसिंह ने आपत्तियां पेशकर निवेदन किया कि अपीलान्ट ने ग्राम पंचायत दुगौली के द्वार पारीत आदेश/निर्णय दिनांक 6.10.2017 को प्रस्ताव संख्या 02 के तहत उक्त नामान्तरण खरीददार व बैचानकर्ता के कब्जे के अभाव में अस्वीकृत किये गये कि अपील नियत समय सीमा में न्यायालय में नामान्तरण अस्वीकृत की जानकारी के बावजूद पेश नहीं की अपील मियाद बाहर होने से तथा अपील को मियाद में शुमार किये जाने बावत अपीलान्ट द्वारा कोई आवेदन पेश नहीं किये जाने से अपील खारीज योग्य है। उक्त नामान्तरणों के संबंध में ग्राम पंचायत दुगौाली ने बैठक में विचार विमर्श कर एवं उपस्थित वार्ड पंच ने यह आपत्ति उठाने पर कि मौजा दुगौले के खेताय खसरा नम्बर 792, 836, 984 कुल रकबा 17 बीघा 16 बिस्वा व मौजा रामपुरा "अ" के खेताय खसरा नम्बर 955, 956, 989 कुल रकबा 41 बीघा 14 बिस्वा के किसी भी भू–भाग पर बैचानकर्ता रामानंद, प्रभुराम, परसाराम, सरजूदेवी, सीतादेवी, मुकेश, शिवपाल, सागर व सरीता का कब्जा न तो कभी रहा है ना ही बैचान के समय था जिस से खरीददार (अपीलान्ट) का कब्जा भूमि पर नहीं होने व मात्र बैचान दस्तावेज के आधार पर अपीलान्ट द्वार प्रस्तुत अपील खारीज योग्य है। इसलिये कानूनी आपत्तियां पेश कर निवेदन है कि अपीलान्ट की अपील खर्चा सहित खारीज की जावे।

अन्य रेस्पोडेंटान ने जबाब का अवसर देने के उपरान्त भी कोई जबाब पेश नहीं किया जिस के कारण इन के जबाब को बंद किया गया। दिनांक 18.05.2018

उपखण्ड अधिकारी
जायल, जिला नागौर

Scanned by CamScanner

को न्याय आप के द्वार शिविर केम्प कोर्ट दुगौली में रेस्पोडेंट सं. 01 मोतीराम ने एक प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम दुगौली व रामपुरा के नामान्तरण सं. 2394 व 215 जो ग्राम पंचायत के द्वारा अस्वीकृत करने के बाद राजेन्द्र नेतड द्वारा आप के न्यायालय में अपील दर्ज की गयी है अतः श्रीमान् से निवेदन है कि आज न्याय आप के द्वार केम्प में उक्त प्रकरण की जांच व सुनवाई कर उचित निर्णय फरमावे हमें आप के उचित न्याय की आशा है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस सुनी गयी। विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस मुख्यतः अपील पर आधारित रही तथा उन्होंने अपील स्वीकार करने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपील को गलत तथ्यों पर आधारित होने के कारण खारिज करने का निवेदन किया। बहस पर मनन किया पत्रावली व राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। पत्रावली का अवलोकन करने से स्पष्ठ होता है कि अपीलान्ट के द्वारा विकय पत्र संख्या 2017003362 दिनांक 25.08.2017 से विकेताओं से भूमि कय की है तथा दस्तावेज में यह भी स्पष्ठ अंकित किया है कि कब्जा मौके पर केता को सुपुर्द कर दिया है जिस से स्पष्ठ है कि केता ने कब्जा प्राप्त कर लिया है। अपीलान्ट के द्वारा अपील में अंकित भूमियां पंजीबद्ध दस्तावेज से कय की है। पटवारी के द्वार पंजीबद्ध दस्तावेज से ही नामान्तरण सं. 2394 व 215 खोला गया है जो केवल मात्र ग्राम पंचायत दुगौली के द्वार प्रस्ताव सं. 02 में यह तथ्य अंकित कर अस्वीकृत किया कि केता के पास कब्जा नहीं है तथा भूमि का अभी बंटवारा नहीं हुआ है जिस के करण नामान्तरण अस्वीकृत किया जाता है यह तथ्य अंकित कर केता के द्वारा पंजीबद्ध दस्तावेज से कय की गयी भूमि का नामान्तरण सं. 2394 व 215 अस्वीकृत करना न्यायसंगत नहीं है।

–:: आदेश ::–

अतः उपरोक्त स्थितियों व परिस्थितियों के अनुशार अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाती है तथा मौजा दुगौली के नामान्तरण संख्या 2394 व मौजा रामपुरा "अ" के नामान्तरण संख्या 215 ग्राम पंचायत दुगौली के द्वारा अस्वीकृत किये गये है जो विधिसंगत प्रतीत नहीं होते है । अतः पूर्व में ग्रम पंचायत द्वारा उक्त नामांतकरणों पर किये गये निर्णय को निरस्त किया जाकर तहसीलदार जायल

उपखण्ड अधिकारी
जायल, जिला नागौर

Scanned by CamScanner

को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक पंजीयन दस्तावेज के अनुसार नामान्तकरणों को फैसल करने व राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार अंकन करने की कार्यवाही करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार जायल निर्णय की पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे। तहसीलदार जायल को निर्णय की पालना हेतु तहरीर जारी हो।

21.5.18

(सुरेन्द्र प्रसाद)
उपखण्ड अधिकारी, जायल
जायल, जिला नागौर

निर्णय आज दिनांक 21.05.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

21.5.18

(सुरेन्द्र प्रसाद)
उपखण्ड अधिकारी, जायल
जायल, जिला नागौर

Scanned by CamScanner